

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवंबर, 2015

का. आ. 3073(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1860 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम, अम्लीबारी मोलगी रोड, ए/पी अकलकुआ, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र-425415”

द्वारा “व्यवसायिक पाठ्यक्रमों और बालिका छात्रावास, व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की वर्तमान गतिविधियों को बढ़ाने तथा उनका अनुरक्षण करने हेतु विस्तार परियोजना” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 2 करोड़ रु. की कार्पस निधि सहित 14.72 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 04.06.2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 1474 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत 2.00 करोड़ रु. की कार्पस निधि सहित 14.72 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 40.84 करोड़ रुपये किए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 2.00 करोड़ रु. की कार्पस निधि सहित 14.72 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 40.84 करोड़ रुपये संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम, अम्लीबारी मोलगी रोड, ए/पी अकलकुआ, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र-425415” द्वारा चलायी जा रही “व्यवसायिक पाठ्यक्रमों और बालिका छात्रावास, व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की वर्तमान गतिविधियों को बढ़ाने तथा उनका अनुरक्षण करने हेतु विस्तार परियोजना” की परियोजना अथवा स्कीम को अधिसूचित करती है, दिनांक 11.08.2011 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 1860(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 3 तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में “2.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 14.72 करोड़ रुपये” अक्षरों, अंकों और शब्दों को “2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 40.84 करोड़ रु.” अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 263/2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ (एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)